POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 28.08.2023

1.थाना दादरी पुलिस द्वारा आधार कार्ड पर लोन व जॉब दिलवाने के बहाने लोगो के साथ धोखाधडी कर लाखो की ठगी करने वाला 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 04 फाइल विभिन्न दस्तावेज व 02 रजिस्टर बरामद ।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 28.08.2023 को अभियुक्त सत्यवीर सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह व अभियुक्ता विनिता रावल को चार अदद फाइल व दो रजिस्टर विभिन्न दस्तावेज के साथ दादरी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। वादी व अन्य 5 पीडितों द्वारा अभियुक्त 1. सत्यवीर सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह 2. अभियुक्ता विनिता रावल पत्नी धर्मेन्द्र रावल के द्वारा वादी से लोन कराने के नाम पर 02 लाख रूपये ले लेना तथा बार बार कहने पर भी लोन न कराने व अन्य लोगो से भी लोन के नाम पर रुपये हडप लेने के सम्बन्ध में थाना दादरी पर मु0अ0सं0 459/23 धारा 406/419/420/120बी भादवि पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तगण शातिर किस्म के जालसाज है जो लोगों को भरोसे दिलाकर अपनी कम्पनी जीएस एन्टरप्राइजेज के नाम पर आधार कार्ड पर लोन दिलवाने, प्रधानमन्त्री आवास योजना में आवास व लोगों को जॉब दिलवाने के नाम पर लोगों से लोन की कमीशन कुल राशि का 10 प्रतिशत तय करते हैं और कमीशन की 5 प्रतिशत धनराशि फाइल चार्ज के नाम पूर्व में ही कैश/फोन पे/पेटीएम व अकाउन्ट के माध्यम से ले लेते हैं और जॉब दिलवाने के नाम पर लोगों से 200 से 300 रूपये लेते हैं। इस तरह अभियुक्तगण जनता से लाखो रूपये की ठगी कर चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण--

1. अभियुक्त सत्यवीर सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी चौखे लाल गार्डन वाली गली अम्बेडकर कालोनी कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर स्थाई पता ग्राम व पोस्ट दीघी जिला बु0शहर उम्र 40 वर्ष
2. अभियुक्ता विनिता रावल पत्नी धर्मेन्द्र रावल नि0 धूम मानिकपुर थाना बादलपुर गौ0बु0नगर उम्र 44 वर्ष

अभियुक्त/अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0. 459/2023 धारा 406/419/420/120बी भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 04 फाइल विभिन्न दस्तावेज
2. 02 रजिस्टर

2.थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 04 चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 28/08/2023 को मु0अ0स0 - 211/2023 धारा 379 भादवि व मु0अ0स0 212/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त 1. प्रवीन पुत्र जगपाल सिंह 2. बन्टी पुत्र राजेन्द्र को मय चोरी की गयी मोटरसाइकिलो के साथ दिनांक 28/08/2023 को चेकिंग के दौरान खेडा अंडरपास थाना क्षेत्र रबूपुरा से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण से उक्त मुक़दमे से सम्बंधित चोरी की गयी मोटरसाइकिल बरामद होने पर अभियोग में धारा 411 भादवि व अभियुक्तों के कब्जे अन्य 02 चोरी की गयी मोटरसाइकिल बरामद होने पर अभियोग में धारा 414 भादवि की वृद्धि की गयी।

थाना रबूपुरा पर दिनांक 26.08.2023 को वादी द्वारा फलैदा रोड क़स्बा रबुपुरा से मो0सा0 चोरी के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 211/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात व दिनांक 27.08.2023 को वादी द्वारा मोहित फार्म हाउस क़स्बा रबुपुरा से मो0सा0 चोरी के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 212/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण---

1. प्रवीन पुत्र जगपाल सिंह निवासी मौ0 अम्बेडकर नगर कस्बा व थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 19 वर्ष
2. बन्टी पुत्र राजेन्द्र निवासी मौ0 अम्बेडकर नगर कस्बा व थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 20 वर्ष

अभियुक्तो का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 - 211/2023 धारा 379,411,414 भादवि थाना रबुपुरा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 212/23 धारा 379,411 भादवि थाना रबुपुरा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण—

चोरी की गयी 04 मोटर साईकिल -

1. स्पेलण्डर प्लस रजि0न0 UP 16BP9654
2. रजिस्ट्रेशन नं0 UP16BJ7596 बजाज सी.टी. 100
3. पैशन प्रो चैसिस नं0 MBLHA10AWCGG12614
4. हीरो स्पलैण्डर प्लस चैसिस नं0 रजिस्ट्रेश नं0 RJ34SF4218